नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक

भाग–एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत के लेखों अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर निम्न लिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत्त रहेः–

(i) प्रधान, नगर पंचायत

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रीना देवी	1.4.2016 से 31.3.18 तक

(ii) सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रेम चन्द बत्रा	1.4.2016 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– नगर पंचायत नादौन के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	8 (क)	52.09
2	अनुदान राशि के उपयोग से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	8 (ख)	470.79
3	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	10 (क)	25.14
4	गृहकर का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर न करने के कारण वित्तीय हानि	10 (ख)	4.17

5	गृहकर पर अनियमित रूप से छूट (Rebate) देने के कारण वित्तीय हानि	10 (ग)	1.69
6	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	11 (क)	23.26
7	दुकानदारों से अनुबंध किये बगैर दुकानों/खोखों को किराये पर देना	11 (ख)	––
8	विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस वसूली हेतु शेष	12	1.06
9	दुकानों के किराये से एकत्रित सेवाकर को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	15	7.20
10	बैंक द्वारा सावधि जमा पर अर्जित ब्याज से स्त्रोत पर आय कर कटौती (TDS) के परिणामस्वरूप ब्याज आय की हानि	16	1.88
11	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	27	0.56

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत नादौन के लेखों अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक का अंकेक्षण कार्य श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अवधि 4.7.2018 से 8.8.2018 तक तथा श्री नरेन्द्र कुमार, (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 30.7.2018 से 10.8.2018 तक नादौन में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है। लेखाओं का विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2016–17	3/2017	4/2016
2017–18	1/2018	3/2018

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव/कार्यकारी अधिकारी (नगर पंचायत) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओ एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है तथा संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत व अधूरी सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए स्थानीय परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹35800 आँका गया। सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु, सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 202/2018 दिनांक 8.8.2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर पंचायत ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नादौन शाखा का ड्राफ्ट संख्या 69963 दिनांक 10.8.2018 के माध्यम से उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–171009 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत नादौन की अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2016–17	स्वः स्त्रोत	3677890	7934956	11612846	8300293	3312553
	अनुदान	19000000	19868834	38868834	20168834	18700000
	कुल योग	**22677890**	**27803790**	**50481680**	**28469127**	**22012553**
2017–18	स्वः स्त्रोत	3312553	12092624	15405177	10921970	4483207
	अनुदान	18700000	13415630	32115630	26906984	5208646
	कुल योग	**22012553**	**25508254**	**47520807**	**37828954**	**9691853**
(i)	दिनांक 31.3.18 को रोकड बही अनुसार अन्तिम शेष					₹9691853.00
(ii)	दिनांक 31.3.2018 को बैंक खातों में जमा शेष					₹9698613.87
(iii)	तथा हस्तगत राशि (कृपया **परिशिष्ट "ख"** पर विवरण देखें)					

(iv)	दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में अन्तर	₹6760.87

क्र0सं0	बैंक का नाम एवं बचत खाता सं0	राशि (₹)
1	HDFC Bank 50100079387972	3834526.00
2	HDFC Bank 5010007903202	1734373.00
3	SBI Bank 11306445830	1962360.87
4	SBI Bank 11306446196	108357.20
5	SBI Bank 1130446185	232310.25
6	SBI Bank 11306445841	6121.53
7	SBI Bank 11306446209	83335.47
8	SBI Bank 65110276153	1447793.00
9	KCC Bank 20018023134	83291.25
10	CBI Bank 2158278770	62461.00
11	OBC Bank 01682010034020	68049.30
	हस्तगत राशि	75635.00
	कुल राशि	**₹9698613.87**

4.1 बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष		₹9691853.00
जमाः– (i) चैक संख्या 000354 दिनांक 16.8.2017 बैंक में दिनांक 31.3.18 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया	₹6760.00	(+)6760.87
(ii) Rounding off Difference	₹0.87	
दिनांक 31.3.2018 को बैंक में शेष जमा व रोकड़ बही के अनुसार हस्तगत शेष राशि		9698613.87

(क) चैक संख्या 000354 दिनांक 16.8.2017 ₹6760 भुगतान हेतु जारी किया गया था लेकिन यह चैक दिनांक 31.3.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा बैंक नियमों के अनुसार अब यह चैक कालातीत हो चुका है। अतः उक्त चैक के भुगतान की पुष्टि

बैंक से करने के उपरान्त इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के आय पक्ष में करके समायोजित करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** के अन्तर्गत अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016–17	2963036.98	954154.00	3917190.00	816563.00	3100627.98
2017–18	3100627.98	1777347.00	4877974.00	1005517.00	3872457.98

दिनांक 31.3.2018 को अन्तिम शेष का विवरण

1	Pension and Graduity fund A / C No. 11306446107	572442.48
2	F.D.R No. 3 4706438236 (SBI Nadaun)	838540.00
3	F.D.R No. 33670637270 (SBI Nadaun)	2166412.00
4	F.D.R No . 31471129427 (SBI Nadaun)	295063.00
	कुल योग	**₹3872457.48**

दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि में अन्तर (3872457.98–3872457.48)=₹0.50

अतः अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

5.1 सावधिक जमा निवेश

पैन्शन एवं उपदान निधि से अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक सावधिक जमा में निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

Sr. No	Account no./bank name	Date of Investment	Amount Investment (₹)	Rate	Period	Date of maturity	Maturity value (₹)
1	33670637270/ SBI-NDN	19-10-2017	2166412	6.25%	2 वर्ष	19-10-2019	2452495
2	34706438236/ SBI-NDN	16-02-2018	838540	6.25%	1 वर्ष	16-02-2019	892190
3	31471129427/ SBI-NDN	19-10-2016	295063	7%	3 वर्ष	19-10-2019	363352

अतः परिपपक्वता की निर्धारित तिथि को उक्त सावधिक जमा को भुनाना/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 न्यू पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** के अन्तर्गत अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार न्यू पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016–17	3854982	1444792	5299774	249134	5050640
2017–18	5050640	989371	6040011	647995	5392016

दिनांक 31.3.2018 को अंतिम शेष का विवरण:---

1	New Pension Fund A / C No. 30876314042 (SBI Nadaun)	1495429
2	F.D.R. No. 34706249136 (SBI Nadaun)	973844
3	F.D.R. No. 32051573917 (SBI Nadaun)	2122263
4	F.D.R . No. 33703029880 (SBI Nadaun)	800480
	कुल योग	**₹5392016**

6.1 सावधिक जमा निवेश

न्यू पैन्शन एवं उपदान निधि से अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

Sr. No.	Account No./ bank Name	Date of Investment	Amount Investment (₹)	Rate	Period	Date of maturity	Maturity value (₹)
1	2051573917/ SBI-NDN	24-11-2016	2122263	6.50%	5 वर्ष	24-11-2021	2929614
2	34706249136/SBI-NDN	16-02-2018	973844	6.25%	1 वर्ष	16-02-2019	1036151
3	33703029880/SBI-NDN	05-03-2018	800480	6.50%	2 वर्ष	05-03-2020	910657

7 नगर पंचायत नादौन के गत तीन वर्षों की आय–व्यय का विवरण

नगर पंचायत नादौन के गत तीन वर्षों की आय व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय बर्ष	आय (₹)	व्यय(₹)
2015-16	34329388	16745727
2016-17	27803790	28469127
2017-18	25508254	37828954

8 अनुदान

(क) अनुदानों की राशि ₹52.09 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि में से दिनांक 31.3.18 को ₹5208646 अनुपयोग शेष थे जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः वर्णित अनुपयोग अनुदान राशियों को समयावध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाये एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान से सम्बन्धित ₹470.79 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को सूचना द्वारा उपलब्ध **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के दौरान अनुदानों में से ₹47078518 का व्यय किया दर्शाया गया है। अनुदान रजिस्टर में अनुदान प्राप्ति की प्रविष्टियाँ तो दर्ज थी लेकिन अनुदान रजिस्टर में अनुदान राशि के निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर व्यय करने से सम्बन्धित कोई भी विवरण दर्ज नहीं था जिसके अभाव में नगर पंचायत द्वारा उपयोग अनुदान राशियों की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/दिनांक, बिल/वाउचर इत्यादि अनुदान रजिस्टर में दर्ज करके सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) सीवरेज स्कीम के लिए सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग हमीरपुर मण्डल को भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

नगर पंचायत नादौन द्वारा अपने परिक्षेत्र में सीवरेज स्कीम के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर मण्डल को वर्ष 2014–15 में ₹3.87 करोड का भुगतान किया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर मण्डल से अभी तक इस

राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये है। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 रेहन बसेरा भवन को केन्द्रीय विद्यालय नादौन (PRIMRY WING) को सौंपे जाने की शर्ते तय न करना और न ही कोई किराया प्राप्त करना

नगर पंचायत ने उप मण्डलाधिकारी नादौन के पत्र संख्या 462–66/OK/SDN दिनांक 13.3.2013 के द्वारा रेहन बसेरा भवन को जिलाधीश हमीरपुर के दिनांक 6.9.2013 के आदेश की अनुपालना में केन्द्रीय विद्यालय नादौन (PRIMRY WING) को सौंपा गया परन्तु नगर पंचायत द्वारा अभी तक भी इस भवन को केन्द्रीय विद्यालय नादौन (PRIMARY WING) को सौंपे जाने की शर्ते तय नहीं की गई है और न ही कोई किराया प्राप्त हुआ है। अतः मामले का निपटारा करने के लिए प्रकरण केन्द्रीय विद्यालय नादौन के अधिकारियों के साथ उठाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 गृहकर

(क) गृहकर बकाया ₹25.14 लाख की वसूली न करना

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहां की जनता की सुविधाओ के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** अनुसार दिनांक 31.3.2018 तक ₹2513807 की गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी जोकि एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर न करने के कारण नगर पंचायत को ₹4.17 लाख की वित्तीय हानि

निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0–एच (सी) (10)–7/98 दिनांक 17.11.2003 के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजन से प्रत्येक शहरी निकाय को गृहकर की दर का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित थाः–

वितीय वर्ष	गृह कर दर की प्रतिशतता
2002-03	7.5%
2003-04	8.5%
2004-05	10%
2005-06	11.5%
2006-07	12.5%

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नगर पंचायत द्वारा लगभग 15 वर्ष बाद भी गृहकर की गणना वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 में केवल 10% की कर से ही की गई थी व इस दर में गत 15 वर्षों से कोई वृद्धि की गई है। इस अनियमितता के कारण नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 के दौरान निम्न विवरणानुसार लगभग ₹416746 की हानि हुई हैः–

वितीय वर्ष	10% की दर से गृहकर की गणना (₹)	12.5% की दर से गृहकर की गणना (₹)	अन्तर (₹)
2016-17	833487	1041859	208372
2017-18	833495	1041869	208374
		योग	**416746**

अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त वर्णित अनुदेशानुसार गृहकर का निर्धारण 12.5% की दर से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत की अपने स्त्रोतों से आय में बढ़ौतरी हो व अधिक से अधिक विकासात्मक कार्य का निष्पादन सम्भव हो सके।

(ग) गृहकर पर अनियमित रूप से ₹1.69 लाख की छूट (Rebate) देने के कारण वित्तीय हानि

निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी सिटीजन चार्टर के अनुसार, यदि कोई गृहस्वामी बिल जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर गृहकर जमा करवाता है तो उसे नगर पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर गृहकर में छूट (Rebate) प्रदान की जा सकती है किन्तु नगर पंचायत द्वारा प्राप्त गृहकर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहस्वामी को छूट (Rebate) देते समय न तो उक्त सिटीजन चार्टर की अनुपालना की गई थी और न ही कितना % छूट (Rebate) गृहस्वामियों को दिया जाना है उसका नगर पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा इस तथ्य को कि गृहकर बिल जारी होने की तिथि से 15 दिन के उपरान्त भी जमा करवाया गया हो, नजरअंदाज करते हुए गृहकर प्राप्ति पर सभी गृहस्वामियों को 20% की दर से छूट (Rebate) प्रदान की गई थी। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा अनियमित रूप से छूट (Rebate) देने के कारण निम्नविवरणानुसार ₹169466 की वित्तीय हानि हुई है तथा यह मामला सचिव, नगर पंचायत के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 194/2018 दिनांक 3.8.2018 के द्वारा लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 524 दिनांक 4.8.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि गृहकर की छूट (Rebate) नगर पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर 31 मार्च तक दी जाती है लेकिन भविष्य में Citizen Charter के अनुसार छूट (Rebate) का लाभ दिया जाएगा। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर

स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों में उक्त वर्णित Citizen Charter का अक्षरक्ष अनुपालन सुनिश्चित किया जाएः–

वार्ड संख्या	बिल संख्या	बिल की दिनांक	गृहकर प्राप्ति की दिनांक	टिप्पणी
o"kZ 2016-17				
वार्ड 1	1/70 से 35/70	9.11.2016	7-2-2017 से	
			31-3-2017	
	36/70 से 100/70	10.11.2016		
	1/69 से 37/69	9.11.2016		
वार्ड 2	1/71 से 48/71	17.11.2016	9-2-2017 से	
	49/71 से 89/71	18.11.2016	31-3-2017	
	90/71 से 100/71	19.11.2016		
	1/72 से 41/72	19.11.2016		
वार्ड 3	1/73 से 28/73	21.11.2016	8-2-2017 से	
	29/73 से 56/73	24.11.2016	31-3-2017	
	57/73 से 84/73	26.11.2016		
वार्ड 4	1/74 से 54/74	28.11.2016	17-2-2017 से	
	55/74 से 72/74	29.11.2016	31-3-2017	
	73/74 से 100/74	30.11.2016		
	1/75 से 11/75	1.12.2016		
वार्ड 5	12/75 से 38/75	2.12.2016	23-12-2016	
	39/75 से 64/75	3.12.2016	से 31-3-2017	
	65/75 से 100/75	5.12.2016		
	1/76 से 18/76	6.12.2016		
	19/76 से 38/76	8.12.2016		
वार्ड 6	1/77 से 11/77	9.12.2016	25-2-2017 से	
	12/77 से 92/77	12.12.2016	31-3-2017	
	93/77 से 100/77	14.12.2016		
	1/78 से 10/78	14.12.2016		
	11/78 से 33/78	15.12.2016		
वार्ड 7	1/79 से 24/79	6.1.2017	27-2-2017 से	
	25/79 से 30/79	9.1.2017	31-3-2017	
	31/79 से 37/79	10.1.2017		
	38/79 से 47/79	27.1.2017		
	48/79 से 59/79	30.1.2017		
o"kZ 2017-18				
वार्ड 1	1/80 से 37/80	27.12.2017	5-2-2018 से	
	38/80 से 100/80	28.12.2017	31-3-2018	
	1/81 से 38/81	30.12.2017		
वार्ड 2	1/82 से 23/82	27.12.2017	12-2-2018 से	
	24/82 से 91/82	28.12.2017	31-3-2018	
	92/82 से 100/82	29.12.2017		

	1/83 से 27/83	1.1.2018		
	28/83 से 43/83	3.1.2018		
वार्ड 3	65/84 से 82/84	1.1.2018	17-2-2018 से 31-3-2018	The bill book series was not correct.
	83/84 से 89/84	2.1.2018		
	90/84 से 100/84	3.1.2018		
	36/84 से 64/84	3.1.2018		
	1/84 से 5/84	3.1.2018		
	6/84 से 18/84	4.1.2018		
वार्ड 4	1/85 से 70/85	8.1.2018	19-2-2018 से 31-3-2018	
	71/85 से 100/85	9.1.2018		
	1/86 से 13/86	9.1.2018		
वार्ड 5	14/86 से 27/86	10.1.2018	19-2-2018 से 31-3-2018	
	28/86 से 57/86	15.1.2018		
	58/86 से 65/86	17.1.2018		
	66/86 से 70/86	19.1.2018		
	71/86 से 85/86	20.1.2018		
	86/86 से 100/86	22.1.2018		
	1/87 से 7/87	27.1.2018		
	8/87 से 14/87	29.1.2018		
	15/87 से 25/87	30.1.2018		
	26/87 से 44/87	1.2.2018		
वार्ड 6	1/88 से 39/88	6.2.2018	8-2-2018 से 31-3-2018	The bill book 89 series was not correct.
	40/88 से 54/88	7.2.2018		जिन गृहस्वामियों ने समय पर गृहकर जमा करवाया है उनकी सूचि तैयार करके कुल REBATE में से उन्हें प्रदान की गई छूट की राशि कम कर दी गयी है
	55/88 से 100/88	8.2.2018		
	73/89 से 100/89	8.2.2018		
	39/89 से 42/89	8.2.2018		
	43/89 से 66/89	12.2.2018		
	67/89 से 72/89	15.2.2018		
	1/89 से 29/89	15.2.2018		
वार्ड 7	1/90 से 32/90	22.2.2018	22-2-2018 से 31-3-2018	जिन गृहस्वामियों ने समय पर गृहकर जमा करवाया है उनकी सूचि तैयार करके कुल REBATE में से उन्हें प्रदान की गई छूट की राशि कम कर दी गयी है
	23/90 से 56/90	26.2.2018		
	57/90 से 63/90	27.2.2018		

निम्न गृहस्वामियों ने बिल जारी होने के 15 दिन के भीतर ही गृहकर जमा करवा दिया था। अतः इन्हें दी गई छूट (Rebate) उचित है तथा इस राशि को कुल छूट (Rebate) से कम कर दिया गया हैः–

वार्ड संख्या	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का क्रम संख्या	बिल जारी करने की तिथि	REBATE राशि (₹)
वर्ष 2017-18			
वार्ड संख्या 6	80	8.2.2018	571
	82	8.2.2018	746
	84	8.2.2018	37
	108	8.2.2018	109
	127	12.2.2018	76
	128	12.2.2018	87
	129	12.2.2018	94
	130	12.2.2018	88
	131	12.2.2018	82
	132	12.2.2018	21
	133	12.2.2018	36
	136	12.2.2018	169
	170	15.2.2018	508
	181	15.2.2018	194
	183	15.2.2018	328
	185	15.2.2018	80
वार्ड संख्या 7			
	1	22.2.2018	313
	7	22.2.2018	80
	10	22.2.2018	56
	11	22.2.2018	8
	15	22.2.2018	21
	20	22.2.2018	24
	21	22.2.2018	85
	30	22.2.2018	44
	32	22.2.2018	40
	35	22.2.2018	271
	39	26.2.2018	250
	44A	26.2.2018	35
	49	26.2.2018	18
	52	26.2.2018	30
	53	26.2.2018	78
	57	27.2.2018	78
	59	27.2.2018	78
	60	27.2.2018	143
		योग	**`4878**

वर्ष	वास्तव में प्रदत छूट (REBATE) (₹)	देय छूट (REBATE)	अंतर {(अनियमित छूट (REBATE) राशि}(₹)
2016-17	77105	0	77105

2017-18	97239	4878	92361
		योग	**`169466**

(घ) गृहकर की कम मांग करना

गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वार्ड संख्या 6 के क्रम संख्या 50 गृह स्वामी श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री रोशन लाल के घर का कर ₹4015 निर्धारित किया गया था परन्तु इसे काटपीट करके वर्ष 2015–16 में ₹3301 कर दिया गया तथा तदानुसार ही आगामी वर्षों में गृहकर की मांग ₹3301 की दर से ही की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। यह मामला सचिव, नगर पंचायत के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 193/2018 दिनांक 3.8.2018 द्वारा लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 523 दिनांक 4.8.2018 द्वारा सूचित किया है कि गृहकर की मांग वर्ष 2015–16 में प्रार्थी श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री रोशन लाल बासी वार्ड नं0 6 के प्रार्थना पत्र के आधार पर कम की गई थी। उसे पुनः मांग रजिस्टर में सही कर दिया गया है तथा इस बारे अंकेक्षण में पुष्टि कर ली गई है। अतः भविष्य में इस प्रकार की चूक से परिहार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 (क) दुकानों के किराये की बकाया ₹23.26 लाख वसूली हेतु शेष

नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि का निर्माण करके उन्हें किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है जोकि पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है। नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "च"** के अन्तर्गत अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2018 तक दुकान किराया ₹2325606 की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0 एच0ए0 (7)–1/87–9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन नगर पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए थे जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु नियमानुसार अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ तथा उक्त बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानदारों से अनुबन्ध किये बगैर दुकानों/खोखों को किराये पर देना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "छ"** में वर्णित दुकानों/खोखों/स्टालों को शुरू से ही अनुबन्ध किये बगैर किराये

पर दिया गया था जबकि नियमानुसार दुकानों/खोखों/स्टालों को किराए/पट्टे पर देने से पूर्व अनुबन्ध किया जाना अपेक्षित है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की विधिक/वित्तीय समस्या उत्पन्न न हो सके। अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि उक्त वर्णित अपेक्षित कार्यवाही नगर पंचायत नादौन द्वारा अब पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि नगर पंचायत के हित सुरक्षित हो तथा भविष्य में इस प्रकार की चूक को न दोहराई जाए।

12 विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस ₹1.06 लाख वसूली हेतु शेष

मोबाईल टावरों के रजिस्टर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 को निम्न विवरणानुसार विभिन्न माबाईल टावरो की नवीनीकरण फीस ₹106000 वसूली हेतु शेष थे जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर दिया गया है।

क्रमांक	कम्पनी का नाम	बकाया राशि (₹)
(i)	आईडिया	7812
(ii)	एयरसेल	6000
(iii)	बी0एस0एन0एल0	21876
(iv)	रिलायन्स	42500
(v)	वोडाफोन	7812
(vi)	एयरटेल	0
(vii)	रिलायन्स जियो वार्ड नं0 4	10000
(viii)	रिलायन्स जियो वार्ड नं0 4	10000
	कुल योग	**₹106000**

अतः उक्त बकाया ₹106000 की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 शराब शुल्क की वसूली न करना

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग से एक रूपये प्रति बोतल की दर से शराब शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित राशि की सम्बन्धित विभाग से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यक अभिलेख आंकड़ों सहित एकत्रित करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

14 विद्युत शुल्क की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एल0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 28.2.2000 के अनुसार नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल बिजली खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क की प्राप्ति विद्युत बोर्ड से की जानी अपेक्षित थी परन्तु नगर पंचायत ने वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के लिए विद्युत बोर्ड से वर्णित विद्युत शुल्क की कोई प्राप्ति नही हुई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित राशि की विद्युत बोर्ड से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़ों सहित एकत्रित करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

15 दुकानों के किराये पर प्राप्त ₹7.20 लाख के सेवाकर का सम्बन्धित विभाग को भुगतान न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत ने अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के दौरान दुकान किराये से प्राप्त आय पर निम्न विवरणानुसार दुकानदारों से वसूल सेवाकर ₹720452 का केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया थाः–

वित्तीय वर्ष	दुकानदारों से वसूल सेवाकर राशि (₹)
2016–17	16728
2017–18	703724
कुल योग	**720452**

सेवाकर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का निर्धारित समय पर भुगतान करना अपेक्षित है तथा ऐसा न करने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा दण्ड (Penality) लगाई जा सकती है, जिसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदाई होगा। यह मामला सचिव, नगर पंचायत के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 188/2018 दिनांक 3.8.2018 के द्वारा लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 518 दिनांक 4.8.2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि नगर पंचायत द्वारा सर्विस टैक्स नम्बर आबंटन हेतु सम्बन्धित विभाग को आवेदन किया गया है तथा नम्बर प्राप्त होने पर सर्विस टैक्स जमा करवा दिया जाएगा और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जायेगी। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार एकत्रित सेवाकर का समय पर सम्बन्धित विभाग को

भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी दण्ड (Penality) की सम्भावना को नकारा जा सके।

16 बैंक द्वारा सावधि जमा पर अर्जित ब्याज में से स्त्रोतों पर आय कर कटौती (TDS) करने के परिणामस्वरूप ₹1.88 लाख की वित्तीय हानि

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नादौन द्वारा सावधि जमा पर अर्जित ब्याज में से स्त्रोत पर आय कर कटौती (TDS) की गई थी, जबकि सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–385/01/2015–IT(B) दिनांक 29.05.2017 खण्ड–4 के अनुसार आयकर अधिनियम–1961 की धारा 10 (20) के तहत स्थानीय निकाय की आय कर मुक्त (Exempt) है।

इस अनियमितता के परिणामस्वरूप नगर पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹187782 की वितीय हानि हुई हैः–

Sr.No.	Account No.	Date of Investment	Amt. Invested (₹)	Rate	Period	Date of maturity	Maturity Value (₹)	TDS (₹)
1	33670637270/SBI-NDN	19.10.15	1922191	7.5%	2 yr	19.10.17	2230168	63756
2	34706438236/SBI-NDN	16.02.16	749062	7.25%	1 yr	16.02.17	804863	11221
3	2051573917/SBI-NDN	24.11.11	1400000	9.25%	5 yrs	25.11.16	2211577	89314
4	34706249136/SBI-NDN	16.02.16	863101	7.25%	1 yr	16.02.17	927398	6471
5	33703029880/SBI-NDN	05.03.16	704607	7.5%	2 yrs	05.03.18	817500	17020
							Total	187782

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 201/2018 दिनांक 08.08.18 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः वर्णित प्रकरण को सम्बन्धित बैंक से उठा कर स्त्रोत पर आयकर कटौती (TDS) ₹187782 की वसूली सुनिश्चित करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में TDS की कटौती न करने हेतु सम्बन्धित बैंकों को अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं और इसके बावजूद भी बैंक द्वारा TDS कटौती की अवस्था में राशि को आयकर विभाग से यथासमय प्राप्त किया जाए।

17 पार्किंग फीस की दरों में बढ़ौतरी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

सचिव, नगर पंचायत के पत्रांक न0प0 नादौन–2015–बस अडडा–281–283 दिनांक 01.05.15 द्वारा पार्किंग फीस ₹20 से बढ़ाकर ₹30 की गई थी जबकि Municiplity Act 1994 की धारा–66 (2) के अनुसार "उप धारा (1) के अधीन किसी कर, पथकर या फीस की दरें, उसके खण्ड (viii) के अधीन कर की दर के सिवाए नगर पालिका द्वारा अवधारित की जाएगी परन्तु ऐसी दरें, उन अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होगी जो राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा निमित विनिर्दिष्ट करें।" अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित की गई दर की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्याः 200/2018 दिनांक 3.8.2018 द्वारा सचिव नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत पत्र संख्या 534 दिनांक 8.8.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि नगर पंचायत द्वारा बस अडडा पार्किंग फीस दर में बढ़ौत्तरी सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत ही की गई है जोकि सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कम ही है तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शा दी जाएगी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 मोबाईल भत्ता ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री प्रेम चन्द बत्रा, सचिव नगर पंचायत को निम्नलिखित ₹2000 मोबाईल भत्ते का अधिक भुगतान किया गया था जिसे सचिव, नगर पंचायत के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 191/2018 दिनांक 3.8.2018 के द्वारा लाने पर सम्बन्धित से वसूल कर लिया गया है तथा जिसकी पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 33 पर कर ली गई है:–

अवधि	भुगतान प्रति मास (₹)	देय प्रति मास (₹)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.4.2016 से 31.7.2016	1000	500	500	2000

अतः भविष्य में ऐसी चूक की पुनरावृति पर रोक लगाई जानी सुनिश्चित की जाए।

19 महंगाई भत्ता ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 1.7.15 से वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (c) -B(7)-2/2006 दिनांक 23.3.2016 द्वारा महंगाई भत्ते की दर 113% से 119% निर्धारित करने के फलस्वरूप दिनांक 29.2.2016 तक देय बकाया राशि नगर पंचायत कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करवाई गई थी किन्तु वाउचर संख्या 13 मास 4/2016 के अन्तर्गत श्री हरबंस लाल, कनिष्ठ अभियन्ता के सामान्य भविष्य निधि खाते में निम्न विवरणानुसार ₹1880 अधिक जमा करवाई गई जिसे सचिव नगर पंचायत के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 192/2018 दिनांक 3.8.2018 के द्वारा लाने पर सम्बन्धित से वसूल कर लिया गया है तथा जिसकी पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 33 पर कर ली गई हैः–

अवधि	वेतन (₹)	मास	देय भुगतान 6% (₹)	वास्तविक भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.7.2015 से 29.2.2016	31480	8	1889x8=15112	16992	1880

अतः भविष्य में ऐसी चूक की पुनरावृति पर रोक लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना

सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 190/2018 दिनांक 3.8.2018 के द्वारा श्री रमन कुमार, सेनटरी सुपरवाईजर व श्रीमती कमलेश कुमारी की सेवा पुस्तिकाएं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत ने पत्र संख्या 520 दिनांक 4.8.2018 के द्वारा सूचित किया कि श्री रमन कुमार, सेनटरी सुपरवाईजर का तबादला सफाई निरीक्षक के पद पर नगर परिषद पालमपुर को हो गया है तथा श्रीमती कमलेश कुमारी की सेवा पुस्तिका पैन्शन की स्वीकृति हेतु निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के कार्यालय को भेजी गई है। अतः श्रीमती कमलेश कुमारी की सेवा पुस्तिका आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21 श्री बीरबल, सफाई कर्मचारी का जन्म प्रमाण पत्र से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

श्री बीरबल, सफाई कर्मचारी की सेवाएँ निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(1)-201999 दिनांक 14.2.2017 के द्वारा नियमित करने पर उन्होने दिनांक 1.3.2017 से नियमित पद का कार्यग्रहण किया था। कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का

अवलोकन करने पर पाया गया कि उनकी जन्म तिथि 11.12.1964 दर्ज की गई थी परन्तु जन्म तिथि की पुष्टि करने के लिए सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 पैन्शन भोगी को ₹0.01 लाख की पैन्शन का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 01.07.15 से वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (c)-B(7)-2/2006 दिनांक 23.3.2016 द्वारा महंगाई भत्ते की दर 113% से 119% निर्धारित करने के फलस्वरूप दिनांक 29.2.2016 तक देय राशि का पैन्शनरों को नगद भुगतान किया गया था किन्तु वाउचर संख्या शून्य मास 4/2016 के द्वारा निम्न पैन्शनरों को ₹1084 का अधिक भुगतान किया गया जिसे सचिव नगर पंचायत के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 196/2018 दिनांक 3.8.2018 द्वारा लाने पर पैन्शनरों के मास 7/2018 के पैन्शन बिल से वसूल कर लिया गया था तथा जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई हैः–

क्रमांक	**पैन्शन भोगी का नाम**	**भुगतान की अधिक राशि (₹)**
(1)	श्री अशोक कुमार	593
(2)	श्रीमती मनोरमा देवी	210
(3)	श्री बाबू राम	281
	कुल योग	**1084**

अतः भविष्य में ऐसी चूक की पुनरावृति पर रोक लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 न्यू पैन्शन एवं उपदान निधि से ₹0.60 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत ने नियमों के प्रतिकूल श्री किशोरी लाल, लिपिक (सेवारत) को न्यू पैन्शन स्कीम निधि से चैक संख्या 175661 दिनाक 13.2.2018 के द्वारा ₹60000 का भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस अनियमितता को सचिव नगर पंचायत के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 195/2018 दिनांक 3.8.2018 के द्वारा लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 525 दिनांक 4.8.2018 द्वारा सूचित किया गया ₹60000 की वसूली श्री किशोरी लाल, लिपिक के मासिक वेतन से करके आगामी अंकेक्षण के दौरान अनुपालना सत्यापित करवाई जाएगी।

अतः अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति पर पूर्ण रोक लगाई जाए।

24 अंशदायी भविष्य निधि खातों का उचित रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कर्मचारियों के अंश्दान भविष्य निधि के अभिलेख का उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा था अर्थात खाता बही में कर्मचारी के भविष्य निधि खाते का आरम्भिक शेष, वर्ष के दौरान जमा अंशदान की कुल राशि प्रदत्त ब्याज व अन्तिम शेष नहीं दर्शाया गया था जिसके कारण कर्मचारियों के खाते में वित्तीय वर्ष के अन्त में जमा शेष राशि की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख पूर्णतः तैयार करने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 श्री हरबंस लाल, कनिष्ठ अभियन्ता की सामान्य भविष्य निधि खाता बही पूर्ण न करना

श्री हरबंस लाल, कनिष्ठ अभियन्ता दिनांक 31.7.2017 को सेवानिवृत हुए थे तथा उन्हें सेवानिवृत उपरान्त सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि का भुगतान कर दिया गया था परन्तु उनकी सामान्य भविष्य निधि खाता बही पूर्ण न होने के कारण उनको किये गये भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः उनके सामान्य भविष्य निधि खाते को पूर्ण करने के उपरान्त वर्णित भुगतान की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

26 संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

निर्माण कार्य का नामः–C/O Cow shed in NP Nadaun (Sh:- C/O steel reinforcement with prepainted sheet roofing)

संविदाकार का नामः– श्री नरेन्द्र सोनी

बिलः– 1st R/bill ls 2nd & final bill

मापन पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्याः– 26 Page 88 & 89

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत नादौन द्वारा निर्माण कार्य "C/O Cow shed in NPNadaun (SH:- C/O steel reinforcement with prepainted sheet roofing)" के निष्पादन हेतु गलत गणना के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1737 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे सचिव, नगर पंचायत के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा

परीक्षा) के पत्र संख्या 184/2018 दिनांक 3.8.2018 द्वारा लाने पर संविदाकार से वसूल कर लिया गया है तथा जिसकी पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 33 पर अंकेक्षण में कर ली गई हैः–

Item No.	Name of item	Quantity Taken	Actual Quaantity	Difference	Rate	Amount
4	Steel Work welded in built up sections	2449.36KG	2426.20 KG	23.16 KG	75	1737

27 अस्थाई अग्रिम ₹0.56 लाख का समायोजन न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड शिमला से सीमेंट का क्रय करने हेतु उनके प्रोफोर्मा इन वॉइस के विरूद्ध अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था जिसके विरूद्ध निम्न विवरणानुसार ₹56091 का सीमेंट कम प्राप्त हुआ है। अतः यह प्रकरण हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड शिमला से उठाकर वर्णित राशि का शीघ्र समायोजन सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या 1	मास 2	अग्रिम भुगतान (₹) 3	सीमेंट बैग की संख्या 4	राशि (₹) 5	किराया (₹) 6	कुल राशि (₹) 7 (5+6)	अन्तर (₹) 8 (3-7)
277	8/2016	93632	180 180	32760 32760	7622 7622	40382 40382	12868
493	12/2016	90545	180 180	34020 34020	7696 7696	41716 41716	7113
578	1/2017	96498	180 180	34020 34020	7696 7696	41716 41716	13066
698	3/2017	102451	180 180	34020 34020	7696 7696	41716 41716	19019
208	7/2017	96903	180 180	38707 38707	7732 7732	46439 46439	4025
						कुल योग	**56091**

28 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाना

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3) 1/97 दिनांक 17.12.2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण नियम 2004 के अन्तर्गत नगर पंचायत द्वारा एकत्रित विवाह पंजीकरण फीस को राजकीय कोष में शीर्षक–0235–00–800–03 के

अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत नादौन द्वारा अवधि 03.07.17 से 31.03.2018 तक विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में एकत्रित राशि ₹4200 को उक्त वर्णित प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा करवाने की अपेक्षा नगर पंचायत निधि खाते में जमा किया गया था, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **"परिशिष्ट –झ"** में दिया गया है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹4200 को राजकीय कोष खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त नियमों का अक्षरक्षः अनुपालना किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29 अभिलेख के रख–रखाव में पाई गई त्रुटियाँ

(i) भुगतान वाउचर संख्या 642 से 651 मास 3/2018 सचिव, नगर पंचायत द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) Building Application Fees रजिस्टर को पूर्ण नहीं किया गया जोकि नगर पंचायत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा इसके अभाव में प्राप्त आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः अभिलेख को पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

स्टोर/स्टॉक अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भण्डार का प्रतयक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 15.17 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित है। इस अनियमितता के कारण वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए और भविष्य में भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु सभी लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया था।

32 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.
फोन नं0 0177—26020881

पृष्ठांकन संख्या :— V(32) फिन(एल0ए0)—खण्ड—3—7613—7614 दिनांकः 12.11.18 शिमला—171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 सचिव, नगर पंचायत नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट "क" **पैरा संख्या 1 (ग) से सन्दर्भित**

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/63 से पूर्व

संस्था द्वारा 9/63 से पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा–8 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः11 (ख) में दर्शा दी गई है)
2	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	(भारत संचार निगम लिमिटेड से ₹3750 की राशि की प्राप्ति की पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 384 पर कर ली गई है)
4	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः4 (ख) में दर्शाई गई)
2	पैरा–5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः5 (ख) में दर्शाई गई)
3	पैरा–5.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः5.1 (ख) में दर्शाई गई)
4	पैरा–6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः6 में दर्शाई गई)
5	पैरा–6.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः6.1 में दर्शाई गई)

6	पैरा–7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः7 में दर्शाई गई)
7	पैरा–8	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
8	पैरा–9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः8 में दर्शाई गई)
9	पैरा–9.1	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
10	पैरा–9.2	निर्णीत	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि निम्नानुसार करने के उपरान्त (i) UC नं0 न0पं0 नादौन/2017–513 दिनांक 2.8.2018 (ii) UC No. न0पं0 नादौन/2017–514 दिनांक 2.8.2018 (iii) UC No. न0पं0 नादौन/2017–936 दिनांक 23.9.2016 (iv) UC नं0 न0पं0 नादौन/2017–935 दिनांक 23.9.2016 (V) UC No. IPH-HD-AB-Deposit sewerage/2017 XEN IPH
11	पैरा–10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः10 में दर्शाई गई)

12	पैरा–10.1	अनिर्णीत	
13	पैरा–11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः11 में दर्शाई गई)
14	पैरा–12	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018 के पैरा संख्याः12 में दर्शाई गई)
15	पैरा–13	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
16	पैरा–14	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
17	पैरा–15	अनिर्णीत	
18	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत	
19	पैरा–16 (ii)	अनिर्णीत	
20	पैरा–17 (i)	अनिर्णीत	
21	पैरा–17 (ii)	अनिर्णीत	
22	पैरा–18	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
23	पैरा–19	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
24	पैरा–20	निर्णीत	(सचिव नगर पंचायत के पत्र संख्याःन0पं0

			नादौन–स्थापना 2017–1155 दिनांक 15.9.2017 के द्वारा उन्हें पुनः लिपिक के पद पर तैनात कर दिया गया है। सटिप्पण उत्तर के अनुसार उन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर भी लिपिक के वेतन का ही भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि कर ली गई है)
25	पैरा–21	अनिर्णीत	
26	पैरा–22	निर्णीत	(₹2565 की वसूली की पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 21 पर कर ली गई है)
27	पैरा–23	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
28	पैरा–24	निर्णीत	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के क्रम संख्या 7 (iv) (e) के अनुसार
29	पैरा–25	निर्णीत	(आयकर, बिक्रीकर तथा लेबर सेस को जमा किये जाने के अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
30	पैरा–26	निर्णीत	(₹600 की वसूली की पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 21 पर कर ली गई है)
31	पैरा–27	निर्णीत	(वाउचर संख्या 698 मास 3/2017 के द्वारा राशि का समायोजन किया गया)
32	पैरा–28 (i)	अनिर्णीत	
33	पैरा–28 (ii)	अनिर्णीत	
34	पैरा–28 (iii)	अनिर्णीत	
35	पैरा–29 (i)	अनिर्णीत	
36	पैरा–29 (ii)	अनिर्णीत	
37	पैरा–30	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र

			संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
38	पैरा–31	अनिर्णीत	
39	पैरा–32	निर्णीत	(₹1401 की वसूली की पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 21 पर कर ली गई है)
40	पैरा–33	निर्णीत	(₹70 की वसूली की पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 21 पर कर ली गई है)
41	पैरा–34	निर्णीत	(₹200 की वसूली की पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 21 पर कर ली गई है)
42	पैरा–35	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 12.7.2018 के द्वारा निर्णीत)
43	पैरा–36	निर्णीत	(अभिलेख की पुष्टि करने के उपरान्त)
44	पैरा–37	अनिर्णीत	

दिनांक 31.3.2016 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	49
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	28
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	32
31.3.18 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	45